राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2079/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
संतोष बजाज 301] चैतीना कुआं के पास बीकानेर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग, सेठी कॉलोनी जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री जी.एल.सैनी, उप निदेशक, चिकित्सा शिक्षा उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-8-17 के द्वारा राज्य में सेवारत चिकित्साकों, नर्सिंग स्टॉफ, लैबटैक्नीशयन राज्य की मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों आदि के सबंध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन, पत्र दिनांक 18-8-17 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर को अन्तरित कर दिया गया था अतः प्रकरण में अपीलोत्तर तथा सूचना भी उपरोक्त विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही दी जानी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर को पत्र दिनांक 2-4-18 प्रेषित किया है, प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की है, के द्वारा उपरोक्त विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी को पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 18-8-17 के क्रम में संसूचित कर अपीलोत्तर प्रस्तुत करने एवं सूचना के आवेदन पर समुचित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ष्ट है कि शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर के पत्र दिनांक 30-8-17 से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि वह बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना हेतु 14/- रू0 राजकोष में जमा करा कर सूचना प्राप्त कर लें तथा बिन्दु संख्या 3 से 6 का संबंध मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक से होने के कारण वह उनके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

8. उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का आवेदन दिनांक 10-8-17 राज्य लोक सुचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सेठी कॉलोनी जयपुर को प्रस्तुत कर सिंगल विण्डों की भाति अन्य विभागों एवं मेडिकल कॉलेजों से संबंधित सूचना प्रदान करने की वांछना की है जबकि प्रत्येक विभाग तथा मेडिकल कॉलेज में उनसे संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनिनयम-2005 की धारा 6(1) सपठित धारा 6(3) के अनुकूल नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में समुचित कार्यवाही कर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया है। अधिनियम-2005 के तहत एक ही राज्य लोक सूचनरा अधिकारी से विभिन्न राज्य लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने की वांछना नहीं की जा सकती। अतः अपीलार्थी संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदन शुल्क के साथ आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त